न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1 केकड़ी, जिला–अजमेर.

पीठासीन अधिकारी	–	जयमाला पानीगर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	–	17/2019.
सी.आई.एस. नंबर	–	19/2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	501/2018 पुलिस थाना केकड़ी.
सी.एन.आर. नंबर	–	आर.जे.ए.जे.130006852019.

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, केकड़ी, जिला–अजमेर.

ब ना म

1. रामप्रसाद पुत्र सीताराम आयु 23 वर्ष, निवासी ग्राम फारकिया, पुलिस थाना केकड़ी, जिला–अजमेर **(फौत).**
2. गणेश पुत्र छगन आयु 19 वर्ष, निवासी खेमली, पुलिस थाना डबोक, जिला–उदयपुर.
3. मदन पुत्र रामलाल उर्फ राम आयु 21 वर्ष, निवासी कच्ची बस्ती सावलिया जी चैराहे के पास भादसोड़ा, पुलिस थाना भादसोड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़.
4. लोगर उर्फ लोकेश पुत्र नन्दा आयु 20 वर्ष, निवासी पाल के पास सोंकरदा, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला–भीलवाड़ा.
5. गणेश पुत्र रामलाल आयु 20 वर्ष, निवासी कच्ची बस्ती सावलिया जी चैराहे के पास भादसोड़ा, पुलिस थाना भादसोड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.).
6. जगदीश उर्फ कालू पुत्र भैरूलाल आयु 24 वर्ष, निवासी वार्ड–5, दरगाह के पीछे कपासन, पुलिस थाना कपासन, जिला–चित्तौड़गढ़ **(मफरूर).**
7. शेरू पुत्र भैरूलाल आयु 20 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर–5, दरगाह के पीछे कपासन, पुलिस थाना कपासन, जिला–चित्तौड़गढ़ **(मफरूर).**

.... अभियुक्तगण.

अपराध अन्तर्गत धारा 147, 458, 341, 323, 395, 307, 411 भा.दं.सं. सपठित धारा 149 भा.दं.सं.

उपस्थितिः–

1. अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य.
2. श्री पवनसिंह भाटी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त संख्या–2 से 4.

––––––

– नि र्ण य – दिनांक 30 अप्रैल 2026.

01– प्रकरण में अभियुक्त रामप्रसाद की मृत्यु हो जाने व अभियुक्तगण जगदीश व शेरू को मफरूर घोषित किए जाने से इस निर्णय के द्वारा अन्य अभियुक्तगण गणेश पुत्र छगन, मदन, लोगर उर्फ लोकेश, गणेश पुत्र रामलाल का निस्तारण किया जा रहा है।

02– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 25–11–2018 को परिवादी सीताराम ने पुलिस थाना केकड़ी पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 25–11–2018 को रात्रि करीब 1.30 बजे वह और उसके बच्चे सभी घर के अन्दर सो रहे थे, तभी अचालक 10–10 आदमी लोहे के सरिए व लक़डियां लेकर उसके घर के अन्दर आए और आते ही उसकी पत्नी श्रीमती जीवनी के साथ मारपीट करने लग गए व उसकी पत्नी को घर से उठाकर खेतों की तरफ ले गए। उनके लड़ाई–झगड़े की आवाज सुनकर उनके पड़ौसी नन्दलाल आया तो उसके साथ भी सरिए की मारी, जिससे उसका सिर फट गया। उसकी पत्नी के पैरों की चांदी की क़डियां वजनी तीन पाव, चांदी की कनकती वजनी करीब एक किलो, हाथ का चांदी का कोला वजनी करीब एक किलो, कानों के सोने के टोप्स वजनी करीब आधा तोला, एक तोला सोने की बाली, गले का सोने का मांदलिया, उसकी मां राधा के पैरों के करीबन 500 ग्राम की चांदी के कड़े लूटकर ले गए। मारपीट करने वालों को वह शक्ल से पहचानता है। एक व्यक्ति उनके गांव का महावीर का साला जो बागरिया की ढाणी बघेरा का इनके साथ था। इन सभी ने उनके घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से उनके साथ सरियों व लक़डियों से मारपीट कर जेवरात व नकदी लूटकर ले गए, आदि।

03– उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना केकड़ी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–501/2018 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 458, 395 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 458, 323, 341, 395, 307, 411 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–एक, केकड़ी, जिला–अजमेर में पेश किया न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–एक, केकड़ी द्वारा प्रकरण में बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया व धारा 395 व 307 भा.दं.सं. सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस कमिटल सुनी जाकर प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया।

04– अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त

रामराज को धारा 147, 458, 341, 323, 395, 307, 411 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध आरोप को सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

05– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नांकित साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः–

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
PW-01	सांवराराम	चश्मदीद गवाह, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-02	नन्दलाल	चश्मदीद गवाह, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-03	श्रीमती जीवणी	चश्मदीद गवाह, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-04	सीताराम पुत्र दोलूराम	परिवादी.
PW-05	जवानाराम	बयान धारा 161 दं.प्र.सं., नक्शा–मौका घटनास्थल.
PW-06	रामराय	बयान धारा 161 दं.प्र.सं., नक्शा–मौका घटनास्थल.
PW-07	श्रीमती राधा	चश्मदीद गवाह, बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-08	सीताराम पुत्र कल्याण	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. फर्द पेशकशी, फर्द जब्ती मुलजिमान के कपड़े.
PW-09	घीसालाल	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. फर्द पेशकशी, फर्द जब्ती मुलजिमान के कपड़े.
PW-10	दशरथ	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-11	महेन्द्र	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. फर्द पेशकशी, फर्द जब्ती मुलजिमान के कपड़े.
PW-12	हेमन्त जैन	बयान धारा 161 दं.प्र.सं., फर्द पेशकशी चांदी की कड़ियां आदि.
PW-13	छगनलाल	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. जब्तशुदा मोटरसाईकिल का स्वामी.
PW-14	धनराज	फर्द गिरफ्तारी, तस्दीक नक्शा–मौका, फर्द जब्ती चांदी की कनकती, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल आदि.
PW-15	श्योजीराम	फर्द गिरफ्तारी, तस्दीक नक्शा–मौका, फर्द जब्ती चांदी की कनकती, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल आदि.
PW-16	डॉ. लोकेश मीणा	चिकित्सक गवाह.
PW-17	सांवरलाल	फर्द गिरफ्तारी, तस्दीक नक्शा–मौका, फर्द जब्ती चांदी की कनकती, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल आदि.
PW-18	डॉ. तारेश जैन	चिकित्सक गवाह.
PW-19	पांचूलाल	ताईद मालखाना.

PW-20	रवि वर्मा	ताईद मुलजिमान की शिनाख्तगी.
PW-21	उदयसिंह	चाक एफ.आई.आर.
PW-22	अमीचन्द	अनुसंधान अधिकारी.
PW-23	भारतभूषण दीक्षित	जब्तशुदा माल मार्क सी व डी की शिनाख्तगी.
PW-24	श्रीनिवास	अनुसंधान अधिकारी.

06– अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाएः–

प्रदर्श मार्क संख्या	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी–01	फर्द जब्ती पार्चेजात परिवादी
प्रदर्श पी–02	चोट प्रतिवेदन सांवरलाल.
प्रदर्श पी–03	चोट प्रतिवेदन नन्दलाल.
प्रदर्श पी–04	चोट प्रतिवेदन श्रीमती जीवणी.
प्रदर्श पी–05	तहरीरी रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–06	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श पी–07	फर्द नक्शा–मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी–08	चोट प्रतिवेदन सीताराम.
प्रदर्श पी–09	चोट प्रतिवेदन राधादेवी.
प्रदर्श पी–10	फर्द जब्ती दो स्कार्फ.
प्रदर्श पी–10	फर्द तस्दीक निशांदेही मुलजिम जगदीश.
प्रदर्श पी–11	फर्द जब्ती चांदी के जेवरात.
प्रदर्श पी–12	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रामप्रसाद.
प्रदर्श पी–13	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त गणेश पुत्र रामलाल.
प्रदर्श पी–14	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त गणेश पुत्र छगन.
प्रदर्श पी–15	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मदन.
प्रदर्श पी–16	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त लोगर उर्फ लोकेश.
प्रदर्श पी–17	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जगदीश उर्फ कालू.
प्रदर्श पी–18	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त शेरू.
प्रदर्श पी–19 से 21	फर्द तस्दीक नक्शा–मौका.
प्रदर्श पी–22	फर्द जब्ती चांदही के जेवरात.
प्रदर्श पी–23	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल.
प्रदर्श पी–24	–
प्रदर्श पी–25 से 27	एक्सरे रिपोर्ट सांवरलाल, नन्दलाल, जीवणी.
प्रदर्श पी–28 से 31	एक्सरे फिल्म.
प्रदर्श पी–32	एम.एल.सी. एक्सरे श्रीमती जीवणी

प्रदर्श पी–33	मालखाना रजिस्टर की प्रति.
प्रदर्श पी–34 से 45	शिनाख्तगी कार्यवाही अभियुक्तगण.
प्रदर्श पी–46	उपखण्ड मजिस्ट्रेट केकड़ी द्वारा अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही हेतु पत्र.
प्रदर्श पी–47	उपखण्ड मजिस्ट्रेट केकड़ी द्वारा अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही हेतु पत्र.
प्रदर्श पी–48 से 51	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त रामप्रसाद.
प्रदर्श पी–52	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त गणेश.
प्रदर्श पी–53	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त जगदीश.
प्रदर्श पी–54	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त गणेश.
प्रदर्श पी–55	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त मदन.
प्रदर्श पी–56	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त शेरू.
प्रदर्श पी–57	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त लोगर उर्फ लोकेश.
प्रदर्श पी–58	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त गणेश पुत्र रामलाल.
प्रदर्श पी–59	पुलिस थाना केकड़ी द्वारा मेडिकल ऑफिसर को आहता जीवणी का पुनः एक्सरे बाबत् पत्र.
प्रदर्श पी–60 से 67	रोजनामचा रपट.
प्रदर्श पी–68	अभियुक्तगण मदन व गणेश का आपराधिक रेकार्ड.
प्रदर्श पी–69	अभियुक्तगण शेरू व जगदीश का आपराधिक रेकार्ड.
प्रदर्श पी–70	आर्टिकल–1 मार्का–सी.
प्रदर्श पी–71	आर्टिकल–2 मार्का–डी.
प्रदर्श पी–72	आरोप पत्र.
प्रदर्श पी–73 से 75	अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही.

07– अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नांकित आर्टिकलों को प्रदर्शित कराया गया।

आर्टिकल–1	मार्का–सी एक सफेद कपड़े की थैली में चांदी की कनकती.
आर्टिकल–2	मार्का–डी एक सफेद कपड़े की थैली में दो जोड़ी कड़ियां, एक जोड़ी नाहरमुखी कड़े सफेद धातु कुल 06 नग.

08– अभियोजन की साक्ष्य समाप्ति पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आई साक्ष्य का स्पष्टीकरण धारा 313 द.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. के तहत अभियुक्तगण से लिया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना तथा स्वयं को झूठा फंसाए जाने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

09– विद्वान अपर लोक अभियोजक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहान हितबद्ध साक्षी हैं तथा गवाहान के बयानों में विरोधाभास है, इस कारण से गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्तगण की पहचान नहीं की गई है व अभियुक्तगण से बरामदगी साबित नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जावे।

11– उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

''आया अभियुक्तगण ने दिनांक 25–11–2018 को समय रात्रि करीब 1.30 बजे बैरवा का झोपड़ा मानखण्ड, पुलिस थाना केकड़ी पर आपस में मिलकर एकराय होकर परिवादीगण के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी सीताराम के रिहायशी मकान में अवैध रूप से प्रवेश कर आहतगण सीताराम, राधादेवी, सांवरलाल, नन्दलाल, श्रीमती जीवणी का सदोष अवरोध कारित करते हुए उनके साथ मारपीट कर साधारण चोटें कारित की तथा परिवादी की पत्नी जीवणी के पैरों की चांदी की क़डियां, कणकती, हाथ का कोला, कानों के सोने टोप्स, बाली, मांदलिया, पैरों की चांदी की क़डियां व परिवादी की जेब में रखे पांच हजार रूपए लूटकर ले जाने तथा उक्त जेवरात को चोरी का होना जानते हुए स्वयं के पास रखा तथा आहत नन्दलाल के साथ उसकी हत्या कारित करने के आशय से उसके सिर पर सरिए, लकड़ी आदि से वार कर उसकी हत्या कारित करने का प्रयास कर आहत के उपहति कारित की ?

2. यदि हां तो उसकी सजा क्या होगी ?

12– अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 458/149, 323, 341/149, 307/149, 395/149, 411/149 भा.दं.सं. का आरोप है। अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित सहघटक को साबित करना है।

(A) अभियुक्तगण ने विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया, जिसके वे सदस्य थे।
(B) अभियुक्तगण द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया।
(C) अभियुक्तगण घातक हथियार या ऐसी चीज से लैस होकर घातक आयुध का प्रयोग किए जाने से मृत्यु कारित होना संभाव्य थी।
(D) अभियुक्तगण ने कोई कार्य इस आशय से किया कि उपहति कारित करे या

ज्ञान के साथ किया कि किसी को संभाव्य उपहति कारित हो।

(E) अभियुक्तगण ने किसी व्यक्ति को स्वेच्छया बाधा कारित की तथा ऐसी बाधा से उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें वह व्यक्ति जाने का अधिकारी था, तथा जाने से निवारित किया।

(F) अभियुक्तगण ने कोई कार्य इस आशय या ज्ञान से किया, वह कार्य ऐसी परिस्थितियों में किया गया था कि यदि उससे अभियुक्तगण मृत्यु कारित कर देते तो अभियुक्तगण हत्या के दोषी होते।

(G) अभियुक्त ने ऐसे अन्य 05 व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से या अन्य किसी व्यक्ति की सहायता से लूट का अपराध कारित किया।

(H) अभियुक्तगण ने किसी सम्पत्ति को प्राप्त किया या रखा तथा अभियुक्तगण ऐसा जानते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है एवं अभियुक्तगण ने ऐसा कार्य बेईमानी से किया।

(I) अभियुक्तगण ने रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया। अभियुक्तगण ने ऐसा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने या उस पर हमला करने या सदोष अवरोध करने अथवा उसे उपहति या भय में डालने की तैयारी की।

<u>अवधारणीय बिन्दु संख्या–एक</u>

13– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को साबित करने के लिए कुल 24 गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई है, जिन पर विचार किया जावे तो **गवाह पी.ड.–1 सांवराराम** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25–11–2018 को समय रात के डेढ़ बजे वह, उसकी पत्नी और उसके पापा, मम्मी उनके घर पर सो रहे थे, तभी उसके पापा के चिल्लाने की आवाज आने पर उसने जाकर देखा तो 10–15 आदमी हाथों में लोहे के सरिए व लकड़ी लिए उसके पिताजी के साथ मारपीट कर रहे थे। वह, उसकी माता जीवणी को उठाकर रोड़ पर ले गया। वह जैसे ही बाहर निकला उसके सिर पर लोहे के सरिए से वार कर दिया। उनकी आवाज सुनकर उनका पड़ौसी नन्दलाल उनके घर आ गया तो उसके साथ भी मारपीट की। उसकी माता के पैरों में पहनी हुई चांदी की कड़ियां वजनी तीन पाव से एक किलो और आधा तोले के टोप्स, एक तोले की बाली व आधा तोले का मांदला, एक किलो कड़ाला, उसकी दादी के पैरों की कड़ियां आदि लूटकर ले गए। उसके पापा की जेब से पांच हजार रूपए भी लूटकर ले गए। नन्दलाल के हाथ का कड़ा भी छीनकर ले गए। मुलजिमानकी पहचान जेल में करवाई थी। उन्होंने मुलजिमान को पहचाना था, जिनके नाम गणेश, जगदीश, शेरू, गणे, लोकेश, रामप्रसाद, मदन थे। पुलिस वालों ने उसकी पेन्ट व शाल जिन पर खून लगा था, को जब्त किया। फर्द जब्ती पार्चेजात प्रदर्श पी–1, उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मैं गणेश, जगदीश, शेरू, लोकेश, मदन, गणेश को पहले से नहीं जानता हूं, केवल रामप्रसाद को जानता हूं। यह सही है कि जब ये लोग रात में हमारे घर आए थे, तब सभी ने मुंह पर कपड़ा लगाया हुआ था। मेरे सिर पर रामप्रसाद ने मारी थी, जिससे सिर फट गया था

तथा टांके आए थे। उस समय रामप्रसाद का मुंह का कपड़ा उतर गया था, इसीलिए मैं उसको पहचान गया। मेरी मां पड़ौस में शादी होने से सोने के टाप्स, मांदलिया, कड़ोल्या पहन रखे थे, उसे मुलजिमान मारपीट कर लेकर गए। यह सही है कि हमारे साथ मारपीट होने से हम लोग नीचे गिर गए थे। यह कहना गलत है कि मैं सिर के बल गिर गया हो, जिसकी वजह से मेरे सिर पर चोटें आई हो। यह कहना गलत है कि मैं मेरे गहने, जो थाने में पड़े थे, उनको लेने के लिए बयान देने आया हूं। यह कहना गलत है कि हमारे साथ मुलजिमान ने मारपीट नहीं की हो।

15– **गवाह पी.ड.–2 नन्दलाल** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.11.2018 को रात के करीब 1.30 बजे की बात है। उसे उसके पडोसी सीताराम के घर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने भागकर जाकर देखा कि सीताराम के मकान के अंदर सांवरलाल व उसकी मां जीवणी व सीताराम की मां राधा देवी के साथ 8–10 व्यक्ति सरियों व लाठियों से मारपीट कर रहे थे। उसने बीचबचाव करााया तो उसके भी सरियें व लाठी से सिर पर मार दिया और उसके हाथ में पहनने के चांदी के कड़े को निकाल लिया। ये लोग जीवणी को घर से बाहर खींचकर ले गए तथा उसके पहने हुए जेवरात, कणकती, कानो के सोने के टोप्स व सोने का मांदलिया व चांदी की कडियां व सीताराम के जेब से 5000/– रूपये नकद ले गए। राधा देवी की चांदी की कडियां व कानों के टोप्स भी ये लोग छीन कर ले गए। उसके साथ मारपीट हुई, जिसका मेडिकल हुआ था, जो चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

16– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरा मकान सीताराम के मकान से करीबन 50–60 मीटर की दूरी पर है। यह सही है कि मुलजिमान मंुह पर कपड़ा बांधे हुए थे तथा ये लोग लगभग 10–15 मिनट तक मारपीट करते रहे। मैं सीताराम के घर गया, तब रोड़ पर जीवणी को मारपीट कर रहे थे। मेरे वहां जाते ही मेरे सिर पर लोहे के सरिए से चोट मार दी तथा मुलमिजान ने मेरे हाथ का कड़ा खोल लिया। मैं नीचे गिर गया था तथा नीचे पड़े हुए ही घटना देखी थी। मेरे सामने ही जीवणी के गहने खोले थे। यह कहना गलत है कि जीवणी ने खुद के गहने खोलकर दिए हों, फिर कहा कि वह चिल्ला रही थी तथा दो व्यक्ति उसके जेवर खोल रहे थे। घटनास्थल पर पुलिस वाले लगभग एक घंटे बाद पहुंचे थे। यह कहना गलत है कि मैं जीवणी, सीताराम से मिलकर गलत बयान दे रहा हूं।

17– **गवाह पी.ड.–3 जीवणी** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से 05 साल पहले 25 तारीख की बात है। वह तथा उसका पति सीताराम दोनों ही बरामदे में सो रहे थे। उसका लड़का सांवरा व उसकी पत्नी दोनो ही कमरे मे सो रहे थे। तभी डेढ़ बजे करीब 10–15 जने उनके मकान में अंदर आ गए तथा उसके व उसके पति सीताराम दोनों के साथ मारपीट करने लग गए। वह चिल्लाई तो उसका लडका सांवरा वहां आ गया। सांवरा के सिर पर सरियें की चोट मारी। उसे ये लोग घर से बाहर रोड़ पर ले आए। वह चिल्लाई तो वहां नन्दलाल भागकर आया तो नन्दलाल के भी सरिये व लकड़ी की मार दी और उसके जेवर इन लोगो ने खोल लिए। इन लोगो ने उसके पैरों की चांदी की कडियां, कणकती व सोने के कानों के टोपीज व बाली व मांदलियां, उसकी सासू राधा के भी

चांदी की कडियां व टोपीज और उसके पति के जेब से 5000/–रूपये नकद व नन्दलाल के हाथ के कड़े खोलकर लेकर भाग गए। वहां पुलिस व एंबुलेंस आ गई थी। उसका मेडिकल हुआ था, जो चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 है, जिसके एक्स स्थान पर मेरा अंगूठा निशानी है।

18– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैं मुलजिमान को नहीं पहचानती, लेकिन मेरे पति व बेटा ने उन्हें पहचान लिया था। यह कहना गलत है कि मैंने जेवर खोलकर दिए हों, बल्कि उन लोगों ने खुद ही खोल लिए थे। मेरे सामने ही उन लोगों ने मेरे पति की जेब से 5000/–रूपए निकाले थे। यह सही है कि मैं मुलजिमान की शिनाख्तगी के लिए जेल में नहीं गई। पुलिस वाले घटनास्थल पर आधे घंटे बाद ही आ गए थे। यह सही है कि मेरे गहने छुड़वाने के लिए मैं बयान देने आई हूं तथा मैं, मेरा पति व बेटा नीचे गिर गए थे क्योंकि हमारे सरियों की मारी थी। यह कहना गलत है कि मैं झूठे बयान दे रही हूं।

19– **गवाह पी.ड.–4 सीताराम** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.11.2018 की समय करीब रात के एक–डेढ बजे वह तथा उसके परिवारजन सभी घर पर सो रहे थे। उनके घर में 8–10 व्यक्ति हाथों में सरिया व लक़डियां लेकर आए तथा उनके घर में घुसकर उनके साथ मार–पीट की। उसकी पत्नी रामजीवनी को उठाकर घर से बाहर ले गये और उसकी पत्नी की चांदी की क़डिया वजन करीब तीन पाव, चांदी कनकती वजन एक किलो, एक तोला सोने की नाक की नथ, सोने के कान के टॉपिस आधे तौले के, एक मांदलिया सोने का चवनीभर, उसकी मां राधा की चांदी की क़डियां वजन तीन पाव व पांच हजार नकद उसकी जेब से ले गये। आवाज सुनकर उसका पड़ौसी नन्दलाल आया तो नन्दलाल का सिर फोड दिया व नन्दलाल के हाथ का चांदी का कडा ले गये। मारपीट में उसकी पीठ पर चोट आई। उसके पुत्र सांवरलाल के साथ भी मारपीट की, उसका सिर फोड दिया। मार–पीट करने व गहना लूटकर ले जाने वाले रामप्रसाद बागरिया, शेरू, जगदीश, गणेश और मदन आदि आदमियों को वह पहचान गया था। उसने घटना की रिपोर्ट दी थी, जो प्रदर्श पी–05 है, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–6 है, नक्शा–मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–7 है जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–8 है पर एक्स स्थान पर उसकी अंगुठा निशानी है।

20– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैंने मेरी पत्नी के गहनों के खरीद के बिल पेश किए थे। यह सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श–5 में मुलजिमान के नाम नहीं लिखे हुए हैं तथा रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित नहीं है, लेकिन मेरे हस्ताक्षर हैं। यह कहना गलत है कि जब मुलजिमान हमारे घर पर आए, उस समय अंधेरा था, घर की लाईट जल रही थी। यह सही है कि इन सभी मुलजिमान के मुंह पर कपड़े बंधे हुए थे, जो बाद में हट गए थे। मैंने घटना के तुरन्त बाद ही रिपोर्ट लिखा दी थी। यह कहना गलत है कि नक्शा–मौका प्रदर्श पी–7 पर पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किए हों। यह कहना गलत है कि हमारे साथ कोई मारपीट नहीं हुई हो, न ही हमारे गहने चुराकर ले गए हो, तथा झूठे बयान दे रहा हो।

21– **गवाह पी.ड.–5 जवानाराम** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से करीब 05 साल पहले की बात है। वह मेरे घर पर सो रहा था। सुबह जल्दी उठे तो मालूम पडा कि सीताराम के घर के अंदर रात को 5–7 आदमी घुसकर उसके परिवार के साथ मारपीट कर उनके गहने व रूपये लूटकर ले गए। मालूम पडने पर वह, सीताराम के घर गया। वहां उसने देखा कि नंदा, सांवरा का सिर फट रहा था तथा सीताराम की पत्नी जीवणी की बुरी हालत कर रखी थी। पुलिस वाले आए तथा उसके सामने घटनास्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी–7 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि नक्शा–मौका प्रदर्श पी–7 पर हस्ताक्षर पुलिस वालों के कहने पर किए थे। मैंने मारपीट होते हुए नहीं देखी।

22– **गवाह पी.ड.–6 रामराय** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से करीब 05 साल पहले की बात है। वह अपने घर पर सो रहा था। सुबह जल्दी उठे तो मालूम पडा कि सीताराम के घर के अंदर रात को 5–7 आदमी घुसकर उसके परिवार के साथ मारपीट कर उनके गहने व रूपये लूटकर ले गए। मालूम पडने पर वह सीताराम के घर गया। वहां उसने देखा कि नंदा, सांवरा का सिर फट रहा था तथा सीताराम की पत्नी जीवणी की बुरी हालत कर रखी थी। पुलिस वाले आए। पुलिस वालो ने मेरे सामने घटनास्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी–7 बनाया, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैं नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी–7 में क्या लिखा हुआ है, मैंने पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किए थे। यह सही है कि मैंने सीताराम के घर के अन्दर रात को उसके परिवार के साथ मारपीट करने व गहने, रूपए लूटकर ले जाते हुए नहीं देखा।

23– **गवाह पी.ड.–7 राधा** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से करीब 06 साल पहले वह अपने मकान में अपने परिवार के साथ सो रही थी, तभी रात्रि करीब 1.30 बजे 10–15 आदमी हाथों में सरिए, लक़डियां लेकर आए और उसके घर के अन्दर घुसकर उसके लड़के सीताराम, बहु जीवणी व पोते सांवरमल के साथ लड़ाई–झगड़ा करने लग गए। वे चिल्लाएं तो उनका पड़ौसी नन्दलाल भी आया, जिसके भी इन लोगों ने सरिए की सिर पर मार दी। उसकी बहु के व उसके सोने, चांदी के जेवरात लूट लिए। उसके सोने के टाप्स कानों के खींचकर ले गए। उसकी क़डियां व मांदलिया, पैरों की चांदी की क़डियां ले गए। नन्दलाल के हाथ के कड़े, उसके बेटे सीताराम की जेब से पांच हजार रूपए लूटपाट कर ले गए। दूसरे उसके लड़के सीताराम ने पुलिस थाना केकड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वालों ने उसका मेडिकल कराया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–9 पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

24– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि लड़ाई– झगड़ा हुआ, उस दिन हम एकदूसरे के उपर गिर गए थे तथा मेरे बेटे ने सोने की मुर्किया कानों में पहन रखी थी, जिसे वे लोग लेकर नहीं गए। यह सही है कि सांवरलाल की पत्नी के कोई चोट नहीं आई थी, फिर कहा कि मैं तो उन लोगों को देखते ही बेहोश हो गई थी। यह सही है कि उस दिन मैं, मेरा बेटा व पोता सांवरलाल तथा सीताराम की पत्नी सभी नीचे गिर गए थे तथा चोटें आई थी। मुझे पता नहीं कि चांदी की क़डियां व अन्य जेवरात

मेरा बेटा ले गया हो। मैंने कोई घटना नहीं देखी। यह कहना गलत है कि मैं झूठे बयान दे रही हूं।

25– **गवाह पी.ड.–8 सीताराम** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से करीब 06 साल पहले सीताराम के घर लूट व डकैती हो गई थी। सीताराम ने उसके सामने पुलिस वालों को एक भगवा रंग का रूमाल व एक बड़ा रूमाल जो काले, बैंगनी रंग का था, दिया था, जिसको पुलिस वालों ने जब्त किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैंने प्रदर्श पी–10 पर पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किए थे तथा उसमें क्या लिखा हुआ है, पता नहीं।

26– **गवाह पी.ड.–9 घीसालाल** ने साक्ष्य दी है कि उसके बयान से करीब 06 साल पहले सीताराम के घर पर लूटपाट, डकैती हो गई थी। सीताराम ने पुलिस वालों को उसके सामने एक काले रंग की पेन्ट व भूरे रंग की चद्दर, दो मफलर, रूमाल भगवा रंग व काले, बैंगनी रंग के दिए थे, जिसे पुलिस ने उसके सामने जब्त किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–9 व पी–10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–9 व पी–10 में क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। मैंने पुलिस वालों के कहने से हस्ताक्षर किए थे। सीताराम मेरा भाई लगता है। मेरे व सीताराम के घर के बीच में एक प्लाट है। मैं लूट व डकैती में नहीं समझता तथा जब घटना घटी, मैं घर पर सो रहा था।

27– **गवाह पी.ड.–10 दशरथ** ने साक्ष्य दी है कि वह मानखंड का रहने वाला है तथा पढाई करता है। दिनांक 26–11–2018 को वह सुबह उठा तो पता चला कि दिनांक 25–11–2018 रात्रि समय लगभग 1.30 ए.एम. पर सीताराम जी के घर में 10–15 अज्ञात आदमी आए ,जो बागरिया जाति के थे तथा सीताराम जी के घर में घुसकर उनके व उनके लड़के सांवरलाल व उनकी पत्नी जीवनी तथा उनकी मां राधा देवी के साथ लकड़ी व सरिये से मारपीट की। बीच–बचाव कराने नंदलाल बैरवा आया तो उसके साथ भी मारपीट की। सीताराम की पत्नी जीवनी को घर से बाहर उठाकर पैरों में पहनी चांदी की तीन पाव की कडियां व एक कि.ग्रा. की कणकती तथा सोने के टोपिस, गले में सोने का मांदलिया, उसकी सास राधा देवी के पैरों में करीबन 500 ग्राम चांदी की कडियां, सीताराम की जेब में रखे 5000/–रूपये व नंदलाल के चांदी के कड़े लूटकर ले गए। सांवरलाल के कपडों पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मैं घटनास्थल पर नहीं गया तथा मैंने उपर जो बाते लिखाई, वे मुझे लोगों ने बताई थी। सीताराम मेरे दूर के रिश्ते में मामा लगता है। मैंने चांदी की क़डियां व सोने का मांदलिया, टोप्स, चांदी की क़डियां, कणकती तथा पांच हजार रूपए ले जाते हुए नहीं देखा।

28– **गवाह पी.ड.–11 महेन्द्र** ने साक्ष्य दी है कि वह मानखंड का रहने वाला है तथा पढाई व मजदूरी करता हूं। दिनांक 26–11–2018 की रात के करीब डेढ़ बजे सीताराम जी के घर लूटपाट व डकैती हो गई थी, जिस पर सीताराम जी ने अपने पुत्र सांवरलाल के कपड़े पुलिस वाले को उसके सामने दिए, जो कि काले रंग की पेंट व शर्ट काटन की

थी जो हरा रंग की थी, सिर पर बांधने का मफलर व भूर रंग की शाल थी, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–19 व पी–10 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–10 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रदर्श पी–9 की पुश्त पर भी मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं झूठे बयान दे रहा हूं।

29– **गवाह पी.ड.–12 हेमन्त** ने साक्ष्य दी है कि वह सोने चांदी का काम करता हूं। उसकी दुकान भीमराज रोशनलाल के नाम से है, जो गंगापुर, जिला–भीलवाड़ा में स्थित है। दिनांक 27–02–2019 को उसकी दुकान पर लोकल आदमी के साथ एक आदमी जो दो जोडी चांदी की क़डियां व चांदी के एक जोड़ी कड़े गिरवी रखने के लिए आया और कहा कि उसे घर खर्च के लिए पैसे की जरूरत है, यह उसके घर के जेवरात हैं, इनको गिरवी रख लो व नकद रूपये दे दो, जब उसके पास पैसे आएंगे तब वापस लेने आ जाएगा। उसने चांदी के जेवरात का वजन दो किग्रा 498 ग्राम किया था। उसने मार्केट के हिसाब से उसे 44,000/–रूपये दिये थे। वो व्यक्ति इन जेवरात को चोरी करके लाकर उसे गिरवी रखकर गया था। उसने तो उस व्यक्ति को उस समय रेट के हिसाब से पूरे पैसे लिए थे। वह जेवरात उसने अनुसंधान अधिकारी को दिये थे, जिसकी फर्द तस्दीक निशांदेही मुलजिम जगदीश उर्फ कालूराम बागरिया, प्रदर्श पी–10 है व फर्द जब्ती माल प्रदर्श पी–11 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि जहां पुलिस वालों ने कहा, वहां पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे तथा प्रदर्श पी–11 के पृष्ठ भाग पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं झूठे बयान दे रहा हूं।

30– **गवाह पी.ड.–13 छगनलाल** ने साक्ष्य दी है कि वह उदयपुर में टेम्पो चलाता है। दिनांक 17–11–2018 रात्रि को उसकी हीरो होण्डा मोटरसाइकिल नंबर– आर.जे.27–डी.एस.–7864 उसके घर के बाहर खड़ी थी। उसने दिनांक 18–11–2018 को सुबह उठकर देखा तो गाड़ी नहीं मिली। आसपास पड़ोस पर मालूमात करने पर गाड़ी नही मिली तो वह धान मंडी पुलिस थाना उदयपुर गया और रिपोर्ट दर्ज करवायी। उसे थाने वालों ने मोटरसाईकिल की सूचना बाबत् वायरलेस से मैसेज पढ़ाया था। उसकी मोटरसाईकिल हीरो होण्डा शाईन नंबर आर.जे.27–डी.एस.–7864 को रात्रि के समय कोई अज्ञात चोर चुरा ले गये। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मैं मोटरसाईकिल की आर.सी. साथ लेकर नहीं आया हूं तथा मैंने मेरी मोटरसाईकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट उदयपुर पुलिस थाने पर लिखाई थी, जिसकी प्रति पत्रावली पर नहीं है।

31– **गवाह पी.ड.–14 धनराज** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 14–02–2019 को पुलिस थाना केकड़ी पर कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन उसके समक्ष प्रकरण संख्या–501/2018 अतंर्गत धारा 147, 323, 341, 458, 395 आई.पी.सी. में मुल्जिम रामप्रसाद को थाने पर जरिये फर्द प्रदर्श पी–12 गिरफ्तार किया गया। दिनांक 23–02–2019 को मुल्जिम गणेश पुत्र रामलाल को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर से प्रोडेक्शन वारंट पर जरिये फर्द प्रदर्श पी–13 गिरफ्तार किया। मुल्जिमान गणेश पुत्र

छगन, मदन पुत्र रामलाल, लोंगर उर्फ लोकेश पुत्र नंदा, जगदीश उर्फ कालू पुत्र भैरूलाल तथा शेरू पुत्र भैरूलाल को दिनांक 23–02–2019 को जिला कारागार चित्तौड़गढ से गिरफतार किया गया जिनकी फर्द प्रदर्श पी–14 से पी–18 है। फर्द नक्शा–मौका तस्दीक निशांदेही प्रदर्श पी–19 है, जो बैरवा की ढाणी मानखंड का बनाया था। फर्द नक्शा–मौका तस्दीक निशांदेही मकान मुस्तगीस बैरवा की ढाणी मानखंड प्रदर्श पी–20 है। नक्शा–मौका बरामदगीस्थल बंथली जंगलतन मुलजिम रहवासी झोपडी प्रदर्श पी–21 है। फर्द जब्ती एक चांदी की कणकती वजन 700 ग्राम जो प्रकरण हाजा में लूट के दौरान लूटी गई थी, प्रदर्श पी–22 है। फर्द जब्ती एक बिना नंबर मोटरसाइकिल होंडा शाईन रंग काला प्रदर्श पी–23 है। फर्द जब्ती दो जोडी कडियां, एक जोडी कड़े नाहरमुखी कुल नग 6 वजन 2 किलो 498 ग्राम, प्रदर्श पी–11 है। फर्द तस्दीक निशांदेही मुलजिम जगदीश उर्फ कालू बागरिया की निशांदेही से सदर बाजार गंगापुर भीलवाड़ा में गहने बेचे थे, जो प्रदर्श पी–10 हैं, जिन फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं।

32– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–13 पर केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर तथा प्रदर्श पी–14 लगायत पी–18 पर केन्द्रीय कारागृह, चित्तौड़गढ़ के कारापाल की सील व हस्ताक्षर नहीं है। यह भी सही है कि प्रदर्श पी–19 लगायत 23 व प्रदर्श पी–11 के पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है तथा मैंने थानेदार के कहने पर हस्ताक्षर किए थे। मेरी नियुक्ति का पत्र पत्रावली में पेश नहीं है, स्वयं कहा कि पत्रावली में रोजनामचा आम की प्रतियां संलग्न है।

33– **गवाह पी.ड.–15 श्योजीराम** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 14–02–2019 को पुलिस थाना केकड़ी पर कानि0 के पद पर तैनात था, उस दिन उसके समक्ष प्रकरण संख्या–501/2018 अतंर्गत धारा 147, 323, 341, 458, 395 आई.पी.सी. में मुल्जिम रामप्रसाद को थाने पर जरिये फर्द प्रदर्श पी–12 गिरफ्तार किया गया। फर्द नक्शा–मौका तस्दीक मुलजिम की निशांदेही से बैरवा की ढाणी मानखंड का बनाया गया था जो प्रदर्श पी–19 है। नक्शामौका बरामदगी स्थल बंथली जंगलतन मुलजिम रामप्रसाद का रहवासी झोपडी प्रदर्श पी–21 बनाया था। फर्दजब्ती एक चांदी की कणकती वजन 700 ग्राम जो प्रकरण हाजा में लूट के दौरान लूटी गई थी, प्रदर्श पी–22 है। फर्द जब्ती एक बिना नंबर मोटरसाइकिल होंडा शाईन रंग काला प्रदर्श पी–23 है, जिन फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–19, 21 लगायत पी–23 के पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने प्रदर्श पी–19 व पी–21 पर थानेदार के कहने पर हस्ताक्षर किए हों।

34– **गवाह पी.ड.–16 डा. लोकेश मीणा** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25–11–2018 को राजकीय चिकित्सालय केकड़ी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। पुलिस प्रतिवेदन पर **सीताराम** के शरीर का परीक्षण किया तथा निम्न चोटें थी–

1. दाहिनी कोहिनी पर खरोंचनुमा घाव 3 गुणा 1 सेंटीमीटर है, जो कुंदाला कारित हथियार से आना बताई है। चोट सामान्य प्रकृति की व ताजा थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–8 है पर उसके हस्ताक्षर है।

उसी दिन मजरूब **सांवरलाल** पुत्र सीताराम के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन बनाया था, जिसके कुचला हुआ घाव सिर के बाई साइड जो 5 गुणा 0.5 गुणा 0.25 सेंटीमीटर जिसकी चोट ओपिनियन रिजर्व रखी गइ तथा सिर के एक्सरे के लिए एडवाइज किया गया जो प्रदर्श–25 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और एक्सरे की ओपिनियन के लिए रेडियोलोजिसट के पास भेजा गया। बाद एक्सरे रेडियोलोजिसट के अनुसार कोई बोनी इंजरी नहीं पाई गई और ये चोट सामानय प्रकृति की है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 30 व 31 है।

35– **गवाह पी.ड.–16 डा. लोकेश मीणा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसी दिन पुलिस प्रतिवेदन पर **नंदलाल** पुत्र सीताराम के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया तथा निम्न चोटें थी– चोट संख्या 01– सिर पर कुचला हुआ घाव 3 गुणा 0.5 गुणा 0.25 सेंटीमीटर जो कि कुंदाला कारित हथियार से थी और इसके लिए एक्सरे की एडवाइज दी गई और ओपिनियन रिजर्व रखी गई थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। चोट संख्या 02– सिर पर कुचला हुआ घाव 4 गुणा 0.5 गुणा 0.25 सेंटीमीटर जो कि कुंदाला कारित हथियार थी इसके लिए भी एक्सरे की एडवाइज दी गई और ओपिनियन रिजर्व रखी। रेडियोलोजिस्ट के अनुसार चोट संख्या 1 व 2 पर कोई बोनी इंजरी नहीं पायी गई। अतः चोट संख्या 1 व 2 सामान्य प्रकृति की है। एक्सरे रिपोर्ट ओपीनियन प्रदर्श–26 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–28 व 29 है।

36– **गवाह पी.ड.–16 डा. लोकेश मीणा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसी दिन पुलिस प्रतिवेदन पर **जीवणी** पत्नी श्री सीताराम के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया तथा निम्न चोटें थी–चोट संख्या 01– दांयी साइड के कुल्हें पर निलगुहा 5 गुणा 3 सेंटीमीटर जो कि कुंदाला कारित हथियार से थी इसके लिए एक्सरे की एडवाइज दी गई और ओपिनियन रिजर्व रखी गई। रेडियोलोजिस्ट के अनुसार दोबारा एक्सरे करवाने की सलाह दी गई। चोट संख्या 02– दांहिने टकने पर खरोंचनुमा 1 गुणा 1 सेंटीमीटर जो कि कुंदाला कारित हथियार से थी और सामान्य प्रकृति की थी। चोट संख्या 03– बांहिने टकने पर खरोंचनुमा 1 गुणा 0.5 सेंटीमीटर जो कि कुंदाला कारित हथियार की थी और सामान्य प्रकृति की थी जो प्रदर्श पी–4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। एक्सरे रिपोर्ट व एक्सरे ओपिनयन प्रदर्श–27 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–32 है।

37– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि अगर कोई व्यक्ति कठोर धरातल पर लौटता हुआ गिरे तो उक्त सभी मजरूबान के अंगों पर चोटें आना सम्भव है तथा मैंने सीताराम की पहचान बाबत् आई.डी. प्रूफ नहीं ली, केवल पुलिस प्रतिवेदन पर मैंने उक्त व्यक्ति का नाम सीताराम लिखा था।

38– **गवाह पी.ड.–17 सांवरलाल** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 23–02–2019 को पुलिस थाना केकड़ी पर कानि0 के पद पर पदस्थापित था। उसके समक्ष उस दिन अमीचंद अनुसंधान अधिकारी व कानि0 धनराज ने प्रकरण संख्या 501/2018 अंतर्गत धारा 147, 323, 341, 458, 395 आईपीसी में मुल्जिम गणेश पुत्र रामलाल को

केन्द्रीय कारागृह उदयपुर से जरिये फर्द प्रदर्श पी–13 गिरफ्तार किया गया तथा मुल्जिमान् गणेश पुत्र छगन, मदन पुत्र रामलाल, लोंगर उर्फ लोकेश पुत्र नंदा, जगदीश उर्फ कालू पुत्र भैरूलाल, शेरू पुत्र भैरूलाल, को केन्द्रीय कारागृह चितौड़गढ़ से जरिये फर्द प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–18 गिरफ्तार किया गया, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 26–02–2019 समय साढ़े ग्यारह बजे मुस्तगिस के मकान बैरवा की ढाणी मानखड़ का नक्शा–मौका जरिये फर्द प्रदर्श पी–20 मुर्तिब किया गया। फर्द तस्दीक निशांदेही मुल्जिम जगदीश उर्फ कालू बागरिया प्रदर्श पी–10 है, फर्द जब्ती एक जोड़ी चांदी के कढ़े व दो जोड़ी कढियां कुल 6 नग कुल वजन 2 किलो 498 ग्राम प्रदर्श पी–11 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

39– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि मैंने गणेश के शरीर पर कोई पहचान चिन्ह् नहीं देखा हो। उसके हाथ, पैरों पर टेटू गुदा हुआ था। मैंने फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–11 पर हस्ताक्षर उदयपुर जेल तथा फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–14 लगायत पी–18 पर हस्ताक्षर चित्तौड़ जेल में किए थे। मेरी जानकारी में नहीं है कि पुलिस लाईन वाले जाप्ते में कौन–कौन थे। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–13 लगायत पी–18 अमीचन्द की कलमी है। मैंने अनुसंधान अधिकारी के कहने पर फर्दात पर हस्ताक्षर किए थे। यह सही है कि मुस्तगिस के मकान के बाहर उसके नाम की प्लेट या नंबर नहीं थे। यह सही है कि फर्द नक्शा–मौका प्रदर्श पी–20 के पीछे के भाग पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, न ही मुलजिमान के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी है।

40– **गवाह पी.ड.–18 डा. तारेश जैन** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 09–03–2019 को वह रेडियोलोजिस्ट के पद पर सेटेलाईट अस्पताल, अजमेर में कार्यरत था। उस दिन मेडिकल ज्यूरिष्ट के प्रतिवेदन पर नन्दलाल की चोट बाबत् एक्सरे प्लेट पर उसकी राय दी गई। एक्सरे सिर का था, जिसमें किसी प्रकार का अस्थिभंग नहीं पाया गया। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–26 है, जिस पर उसकी राय व हस्ताक्षर हैं एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–28 व 29 है। उसी दिन सांवरलाल की चोट बाबत् एक्सरे प्लेट पर राय दी गई, एक्सरे सिर का था, जिसमें किसी प्रकार का अस्थिभंग नहीं पाया गया। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–25 है, जिस पर उसकी राय व हस्ताक्षर हैं। उसी दिन श्रीमती जीवणी की चोट बाबत् एक्सरे प्लेट पर राय दी गई। एक्सरे पेल्विस का था, जो सही नहीं होने पर पुनः एक्सरे कराने की राय दी। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–27 है, जिस पर उसकी राय व हस्ताक्षर हैं। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–32 है। सांवरलाल की एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–30 व 31 है। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि आहतगण नन्दलाल, जीवणी, सांवरलाल की पहचान बाबत् कोई दस्तावेज नहीं देखे।

41– **गवाह पी.ड.–19 पांचूलाल** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25–11–2018 को पुलिस थाना केकड़ी पर हैडकानि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या–501/2018 का जप्तशुदा माल मार्का ए व बी सील्डशुदा पैकिट एस.आई. श्रीनिवास जी ने मालखाना सुपुर्द किया। मार्का–ए में एक पेन्ट काली रंग व एक चादर हल्की सलेटी (भूरी) थी। मार्का–बी में दो हल्के मुंह बांधने का स्कार्फ जो एक केसरिया रंग का दूसरा हल्का सफेद काला छायादार था, उसे मालखाना सुपुर्द किए थे। दिनांक

16–02–2019 को एस.आई. अमिचन्द जी ने एक सफेद कपडे की थैली सील्डशुदा मार्का–सी, जिसमें सफेद चांदी जैसी धातु की कनकती वजन करीब 700 ग्राम था तथा एक मोटरसाईकिल हीरो होण्डा उसे मालखाना सुपुर्द की थी। दिनांक 28–02–2019 को एस.आई. अमिचन्द जी ने सील्डशुदा कपडे की थैली में मार्का–डी दो जोडी कडियां, एक जोडी नाहर मुखी कडे कुल 06 नग उसे मालखाना सुपुर्द किए थे। उक्त सभी का इन्द्राज मालखाना के मद संख्या 326/2018 पर किया गया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–33 है, जिसकी प्रमाणित फोटो कॉपी प्रदर्श पी–33 ए है, जिस पर ए से बी मालखाना मद संख्या, सी से डी मुकदमा संख्या व धारा, ई से एफ मालजमा इन्द्राज का विवरण, जी से एच शिनाख्त कार्यवाही का नोट अंकन है, आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं।

42– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि अमीचन्द ने सीलशुदा कपड़े की थैली में मार्का–डी दो जोड़ी क़डियां, एक जोड़ी नाहरमुखी कड़े कुल 06 मेरे सामने कपड़े की थैली में नहीं डाले तथा मैंने थैली पर लिखी हुई इबारत के आधार पर बताया कि उक्त थैली में उक्त माल था। यह भी सही है कि प्रदर्श पी–33 पर इस बात का अंकन नहीं है कि अमीचन्द ने माल किस समय दिया था तथा उस पर तत्कालीन थानाधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिम को गलत फंसाने के लिए झूठे बयान दे रहा हूं।

43– **गवाह पी.ड.–20 रवि वर्मा** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 30–05–2019 को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेशानुसार मुकदमा संख्या 501/2018 पुलिस थाना केकड़ी के संबंध में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे मुलजिमान शेरू पुत्र भैरूलाल, जाति बागरिया, जगदीश उर्फ कालू पुत्र भैरूलाल, जाति बागरिया निवासीगण कपासन, जिला चित्तौड व रामप्रसाद पुत्र सीताराम, जाति बागरिया निवासी फारकिया, केकडी की केन्द्रीय कारागृह अजमेर में दिनांक 03–05–2019 को उसके द्वारा शिनाख्तगी परेड करवाई गई। अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र सीताराम की शिनाख्तगी कार्यवाही में गवाह सीताराम व सांवरलाल ने अभियुक्त की ओर इशारा करके उसकी सही पहचान की। अभियुक्त रामप्रसाद की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी–34 है, जिस पर अभियुक्त, गवाहान, जेलर तथा उसके हस्ताक्षर हैं। केन्द्रीय कारागृह अजमेर जेलर के द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही के दौरान अभियुक्त से मिलते जुलते बन्दियों की सूची दी थी जो प्रदर्श पी–35 है, जिस पर ए से बी जेलर के हस्ताक्षर हैं।

44– **गवाह पी.ड.–20 रवि वर्मा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि अभियुक्त शेरू पुत्र भैरूलाल की शिनाख्तगी कार्यवाही में गवाह सीताराम ने अभियुक्त की ओर इशारा करके उसकी सही पहचान की तथा गवाह सांवरलाल द्वारा अभियुक्त शेरू की गलत पहचान की गई। अभियुक्त शेरू की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी–36 है, जिस पर अभियुक्त, गवाहान, जेलर तथा उसके हस्ताक्षर हैं। केन्द्रीय कारागृह अजमेर जेलर के द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही के दौरान अभियुक्त से मिलते जुलते बन्दियों की सूची दी थी जो प्रदर्श पी–37 है, जिस पर ए से बी जेलर के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त जगदीश उर्फ कालू पुत्र भैरू की

शिनाख्तगी कार्यवाही में गवाह सीताराम व सांवरलाल ने अभियुक्त की ओर इशारा करके उसकी सही पहचान की। अभियुक्त जगदीश की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी–38 है, जिस पर अभियुक्त, गवाहान, जेलर तथा उसके हस्ताक्षर हैं। केन्द्रीय कारागृह अजमेर जेलर के द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही के दौरान अभियुक्त से मिलते जुलते बन्दियों की सूची दी थी जो प्रदर्श पी–39 है, जिस पर ए से बी जेलर के हस्ताक्षर हैं।

45– **गवाह पी.ड.–20 रवि वर्मा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसके द्वारा दिनांक 19.07.2019 को अभियुक्त गणेश की शिनाख्तगी कार्यवाही की गई थी। अभियुक्त गणेश पुत्र छगन की शिनाख्तगी कार्यवाही में गवाह सांवरलाल ने अभियुक्त की ओर इशारा करके उसकी सही पहचान की तथा गवाह सीताराम द्वारा अभियुक्त गणेश की गलत पहचान की गई। अभियुक्त गणेश की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी–40 है, जिस पर अभियुक्त, गवाहान, जेलर तथा उसके हस्ताक्षर हैं। केन्द्रीय कारागृह अजमेर जेलर के द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही के दौरान अभियुक्त से मिलते जुलते बन्दियों की सूची दी थी जो प्रदर्श पी–41 है, जिस पर ए से बी जेलर के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 19–07–2019 को अभियुक्त लोंगू उर्फ लोकेश की शिनाख्तगी कार्यवाही की गई थी। अभियुक्त लोंगू उर्फ लोकेश पुत्र नन्दा बागरिया की शिनाख्तगी कार्यवाही में गवाह सीताराम व सांवरलाल ने अभियुक्त की ओर इशारा करके उसकी सही पहचान की। अभियुक्त गणेश की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी–42 है, जिस पर अभियुक्त, गवाहान, जेलर तथा उसके हस्ताक्षर हैं। केन्द्रीय कारागृह अजमेर जेलर के द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही के दौरान अभियुक्त से मिलते जुलते बन्दियों की सूची दी थी जो प्रदर्श पी–43 है, जिस पर ए से बी जेलर के हस्ताक्षर हैं।

46– **गवाह पी.ड.–20 रवि वर्मा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसके द्वारा दिनांक 19–07–2019 को अभियुक्त गणेश की शिनाख्तगी कार्यवाही की गई थी। अभियुक्त गणेश पुत्र रामलाल की शिनाख्तगी कार्यवाही में गवाह सांवरलाल ने अभियुक्त की ओर इशारा करके उसकी सही पहचान की तथा गवाह सीताराम द्वारा अभियुक्त गणेश पुत्र रामलाल की गलत पहचान की गई। अभियुक्त गणेश की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी–44 है, जिस पर अभियुक्त, गवाहान, जेलर तथा उसके हस्ताक्षर हैं। केन्द्रीय कारागृह अजमेर जेलर के द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही के दौरान अभियुक्त से मिलते जुलते बन्दियों की सूची दी थी जो प्रदर्श पी–45 है, जिस पर ए से बी जेलर के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही का गोपनीय पत्र मय लिफाफा ए.सी.जे.एम. प्रथम न्यायालय केकड़ी को भिजवाया गया जो प्रदर्श पी–46 व प्रदर्श पी–47 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

47– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मैं अभियुक्तगण को पहले से नहीं जानता। मेरे निर्देशन में रीडर ने फर्द प्रदर्श पी–34 भरा था तथा फर्द प्रदर्श पी–34 के प्रथम पृष्ठ पर किसी पुलिस अधिकारी अथवा जेलर के हस्ताक्षर नहीं है। गवाह ने फिर कहा कि अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर हैं। अभियुक्तगण की शिनाख्तगी के दौरान अभियुक्तगण के शरीर पर किसी प्रकार की चोट या अभियुक्तगण की कद–काठी में भिन्नता होगी तो उसका उल्लेख शिनाख्तगी की फर्द पर किया गया था। अभियुक्तगण की

प्रत्येक शिनाख्तगी की कार्यवाही के दौरान जेलर के द्वारा पृथक से 6–6 बंदियों की सूची उपलब्ध करवाई थी। अभियुक्तगण की शिनाख्तगी की फर्द के द्वितीय पृष्ठ पर गवाह सांवरलाल व सीताराम के हस्ताक्षर नहीं है। गवाह ने फिर कहा कि शिनाख्तगी की फर्द के प्रथम पृष्ठ पर गवाहान के हस्ताक्षर हैं तथा द्वितीय पृष्ठ शिनाख्तगी का ही भाग है।

48– **गवाह पी.ड.–21 उदयसिंह** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25–11–2018 को थानाधिकारी केकड़ी पद पर तैनात था। उस दिन सीताराम पुत्र दोलाराम आयु 45 वर्ष, निवासी मानखण्ड ने उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की, जो प्रदर्श पी–05 है, जिस पर ए से बी सीताराम परिवादी के हस्ताक्षर, सी से डी कार्यवाही पुलिस का अंकन तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जुर्म धारा 147, 323, 341, 458, 395 आईपीसीस का प्रमाणित पाया जाने पर एफ.आई.आर. 501/2018 दर्ज की जाकर अनुसंधान श्रीनिवास जांगीड का सुपुर्द किया। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–6 है, जिस पर ए से बी परिवादी सीताराम तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

49– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मुझे सीताराम ने बताया कि महावीर बावरिया के साले निवासी बघेरा गांव व उसके अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की थी। मैं परिवादी सीताराम की पत्नी जीवणी व दो लड़कों को मेडिकल हेतु अस्पताल लेकर गया था। सीताराम द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट पर समय का अंकन नहीं है। मुझे आज याद नहीं कि सीताराम के माता–पिता के चोटें आई थी या नहीं। यह सही है कि तहरीरी रिपोर्ट पर सीताराम के पिता का नाम तथा किस व्यक्ति के कहां चोटें आई थी, का अंकन नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं मौके पर नहीं गया हो, गवाह ने फिर कहा कि मैं रातभर चोरों की तलाश में घूमता रहा। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिमान को झूठा फंसाने के लिए झूठे बयान दे रहा हूं।

50– **गवाह पी.ड.–22 अमीचन्द** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 04–02–2019 को थाना केकडी सिटी पर ए.एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन सी.आई. साहब ने मुकदमा संख्या 501/2018 अन्तर्गत धारा 143, 147, 341, 323, 458, 395 की पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु सुपुर्द की थी। दौराने अनुसंधान गवाहान सीताराम, सांवरलाल, राधादेवी, जीवनी, नंदलाल, दशरथ, रामराज, जवानाराम, छगन, श्यामलाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। रामप्रसाद बागरिया को बंथली मोड जिला टोंक से पूछताछ के लिए पुलिस थाना केकडी लाए तथा मुकदमें में पूछताछ की, जिसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने व उसके साथ अन्य 06 लोगों ने मिलकर ग्राम मानखण्ड सीताराम बैरवा के घर पर रात के समय डकैती की थी, जिस पर अभियुक्त रामप्रसाद को पुलिस थाना केकडी पर जरिए फर्द गिरफतार किया, जो प्रदर्श पी–12 है। अभियुक्त रामप्रसाद से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श–पी 49 –''डकैती के माल में से एक कनकती जो मेरे हिस्से में आई जो मेरी टपरी में मैने छुपा कर रखी वो मैं आपको चलकर बता सकता हूं'' है। जिस पर उसके व अभियुक्त के हस्ताक्षर है। उक्त इत्तिला के आधार पर मुलजिम रामप्रसाद बागरिया को टपरी पर लेकर गए जहां एक लोहे के छोटे से ड्रम से एक चांदी जैसी कनकती वजन 700 ग्राम बरामदी की गई, जिसे गवाहान के समक्ष जप्त कर एक सफेदी कपडे की थैली में सीव्ड पैक कर

मार्का–सी अंकित किया तथा टपरी के एक तरफ वक्त घटना काम में ली गई एक काले रंग की होंडा मोटरसाईकिल जप्त की गई, जो प्रदर्श पी–21 है।

51– **गवाह पी.ड.–22 अमीचन्द** ने यह भी साक्ष्य दी है कि अभियुक्त रामप्रसाद की निशांदेही से तस्दीक नक्शा–मौका बैरवा की ढाणी मानखण्ड का बनाया जो प्रदर्श पी–19 है, जिस पर उसके, गवाह व अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त रामप्रसाद से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 50 –''डकैती करने के लिए हम एक काले रंग की कार तथा बिना नंबरी होंडा मोटरसाईकिल, काले रंग की कार को जगदीश व उसके साथ वाले अपने साथ लेकर चले गए थे व काले रंग की मोटरसाईकिल जो मुझे जगदीश व शेरू बागरिया ने दी थी जो मेरी टपरी में मैने छुपा कर रखी वो मैं आपको चलकर बता सकता हूं''। अभियुक्त रामप्रसाद से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 51–''दिनांक 25.11.2018 की रात को मैने व मेरे साथ वाले मदन बागरिया ने लोकेश उर्फ लोगर, शेरू, गणेश, जगदीश उर्फ कालू, गणेश बागरिया ने मानखंड के पास बैरवा की ढाणी में जिस घर में घुसकर मारपीट कर जेवरात व रूपये लूटकर गए थे, वो स्थान मैं आपको चलकर बता सकता हूं'' जिन इत्तिला पर उसके व मुलजिमान हस्ताक्षर है। पुलिस थाना चारभुजा जिला चित्तौड़ से सूचना दी कि आपके थानाक्षेत्र में एक डकैती की वारदात उनके यंहा प्रकरण में जैरे हिरासत मुलजिमान ने स्वीकार किया है, जिस पर एक कानि. को भेजकर पुलिस थाना चारभुजा से प्रकरण की फोटोप्रतियां व गिरफ्तार मुलजिमान के पूछताछ नोट की प्रतियां मंगवाई गई, जिनका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया।

52– **गवाह पी.ड.–22 अमीचन्द** ने यह भी साक्ष्य दी है कि मुलजिम गणेश पुत्र रामलाल, गणेश पुत्र छगन, मदन, लोगर उर्फ लोकेश, जगदीश उर्फ कालू, शेरू पुत्र भैरूलाल सम्मिलित होने से इनकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय श्रीमान् केकडी से प्रोडक्शन वारण्ट प्राप्त कर दिनांक 23–02–2019 को अभियुक्त रामप्रसाद गागरिया को उदयपुर जेल से तथा अभियुक्त गणेश, गणेश पुत्र रामलाल, जगदीश, लोगर उर्फ लोकेश, शेरू व मदन को चित्तौड जेल से जरिए प्रोडक्शन वारण्ट गिरफतार किया गया तथा पुलिस थाना केकडी लेकर आए। फर्द गिरफतारी अभियुक्त गणेश पुत्र रामलाल प्रदर्श पी–13 है। फर्द गिरफतारी अभियुक्त गणेश पुत्र छगन प्रदर्श पी–14 है। फर्द गिरफतारी अभियुक्त मदन पुत्र रामलाल प्रदर्श पी–15 है। फर्द गिरफतारी अभियुक्त लोगर उर्फ लोकेश पुत्र मदन प्रदर्श पी–16 है। फर्द गिरफतारी अभियुक्त जगदीश उर्फ कालू पुत्र भैरूलाल प्रदर्श पी–17 है। फर्द गिरफतारी अभियुक्त शेरू पुत्र भैरूलाल प्रदर्श पी–18 है, जिन पर उसके, गवाहान व मुलजिमान के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 24–02–2019 को मुलजिमान गणेश पुत्र रामलाल, गणेश पुत्र छगन, मदन, लोगर उर्फ लोकेश, जगदीश उर्फ कालू, शेरू पुत्र भैरूलाल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत इत्तला दी कि ''ग्राम मानखण्ड में दिनांक 25.11.2018 की रात्रि में जो हमने डकैती की वारदात की थी, वो जगह हम आपको चलकर बता सकते हैं'' जो इत्तला प्रदर्श पी–52 व प्रदर्श पी–54 है, जिन पर अभियुक्तगण व उसके हस्ताक्षर हैं।

53– ग**वाह पी.ड.–22 अमीचन्द** ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिनांक 26–02–2019

को तस्दीक नक्शा–मौका घटनास्थल मुलजिमान गणेश पुत्र रामलाल, गणेश पुत्र छगन, मदन, लोगर उर्फ लोकेश, जगदीश उर्फ कालू, शेरू पुत्र भैरूलाल की निशादेही से बनाया गया जो प्रदर्श पी–20 है। दिनांक 24–02–2019 को मुलजिम जगदीश उर्फ कालू पुत्र भैरूलाल ने इत्तला दी कि ''जो तीन जोड़े कड़े मैने गंगा को जिला भीलवाडा सदर बाजार में जिस व्यक्ति को बेचे थे, उसको चलकर बता सकता हूं'' जो प्रदर्श पी–53 है, जिस पर अभियुक्त व उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द तस्दीक निशांदेही अभियुक्त जगदीश उर्फ कालू बागरिया ने सदर बाजार, गंगापुर, भीलवाडा हेमन्त जैन की दुकान पर जाकर बताया कि ''मैने हेमन्त जैन को तीन जोडे कडे (कुल 06 नग) दिए थे, जिस पर हेमन्त जैन ने बताया कि मैं व्यापारी हूं तथा मेरे पास अक्सर चांदी खरीदने व बेचने आते रहते है, मुलजिम को देखकर उसने बताया कि कई महीने पहले यह व्यक्ति एक लोकल आदमी को लेकर मेरे पास आया था तथा इसने यह 06 नग कडे मेरे पास गिरवी रखे थे, मुझे अच्छे तरह से याद नहीं है, पुलिस थाने केकडी पर आकर मैं बता दूंगा'' जो प्रदर्श पी–10 है, जिन पर गवाहान, अभियुक्त व उसके हस्ताक्षर हैं।

54– **गवाह पी.ड.–22 अमीचन्द** ने यह भी साक्ष्य दी है कि फर्द पेशकशी दिनांक 28.02.2019 को पेशकर्ता हेमन्त जैन पुत्र श्यामलाल जैन गंगापुर जिला भीलवाडा ने थाना पर उपस्थित होकर दो जोड़ी कड़ियां, एक जोडी नाहरमुखी कडे, सफेद धातु के चांदी जैसे कुल वजन 02 किलो 498 ग्राम पेश किए जो प्रदर्श पी–11 है, जिस पर गवाहान व उसके हस्ताक्षर हैं, जिन्हें जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्का–डी अंकित किया व जमा मालखाना किया। फर्द जप्ती मोटरसाईकिल होण्डा प्रदर्श पी–23 है। फर्द जप्ती चांदी की एक कनकती प्रदर्श पी–22 है, जिस पर गवाहान व उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील है। फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम गणेश पुत्र छगन ने इत्तला दी कि ''मारपीट कर जेवरात व पैसे लूटकर ले गए थे, वो पैसे खाने पीने में खर्च हो गए, कनकती रामप्रसाद को दे दी, कडे जगदीश को दे दिए'' जो प्रदर्श पी–54 है। फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम मदन पुत्र राम बागरिया ने इत्तला दी कि ''मारपीट कर जेवरात व पैसे लूटकर ले गए थे, वो पैसे खाने पीने में खर्च हो गए, कनकती रामप्रसाद को दे दी, कडे जगदीश को दे दिए'' जो प्रदर्श पी–55 है।

55– **गवाह पी.ड.–22 अमीचन्द** ने यह भी साक्ष्य दी है कि फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम शेरू पुत्र भैरूलाल ने इत्तला दी कि ''मारपीट कर जेवरात व पैसे लूटकर ले गए थे, वो पैसे खाने पीने में खर्च हो गए, कनकती रामप्रसाद को दे दी, कडे जगदीश को दे दिए'' जो प्रदर्श पी–56 है। फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम लोंगर उर्फ लोकेश ने इत्तला दी कि ''मारपीट कर जेवरात व पैसे लूटकर ले गए थे, वो पैसे खाने पीने में खर्च हो गए, कनकती रामप्रसाद को दे दी, कडे जगदीश को दे दिए'' जो प्रदर्श पी–57 है। फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम गणेश पुत्र रामलाल ने इत्तला दी कि ''मारपीट कर जेवरात व पैसे लूटकर ले गए थे, वो पैसे खाने पीने में खर्च हो गए, कनकती रामप्रसाद को दे दी, कडे जगदीश को दे दिए'' जो प्रदर्श पी–58 है, जिन पर अभियुक्तगण व उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 01–04–2019 को पीडिता जीवनी का पुनः एक्सरे कराने बाबत् एम.ओ .साहब को तहरीर प्रदर्श पी–59

है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

56– **गवाह पी.ड.–22 अमीचन्द** ने यह भी साक्ष्य दी है कि जप्तशुदा माल को जमा मालखाना कराया तथा बाद तफतीश समस्त मुलजिमान को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। एस.डी.एम. साहब केकड़ी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए मुलजिमान की शिनाख्तगी परेड़ कराई गई तथा जप्तशुदा पैकिट मार्का–सी व मार्का–डी का श्रीमान तहसीलदार साहब के कार्यालय में परिवादी व परिवादी के लडके द्वारा कराई गई। नकल रोजनामचा प्रदर्श पी–60 लगायत पी–67 है, अभियुक्त बदन उर्फ मदन तथा गणेश उर्फ खाडिया उर्फ रामलाल का सजायाफ्ता रिकॉर्ड प्रदर्श पी–68 है, अभियुक्त शेरू पुत्र भैरू, जगदीश उर्फ कालू पुत्र भैरूलाल का सजायाफ्ता रिकॉर्ड प्रदर्श पी–69 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–33 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–33ए है, जिस पर क्रम संख्या 326/2018 दिनांक 25.11.2018 अनुसंधान अधिकारी के कॉलम में उसका नाम अंकित है।

57– **गवाह पी.ड.–22 अमीचन्द** ने यह भी साक्ष्य दी है कि आर्टिकल–1–एक सफेद कपड़े की थैली चिट चेपा पैकिट मार्का–सी एक चांदी की कनकती सफेद धातु जैसी जिसका वजन 700 ग्राम है, जो अभियुक्त रामप्रसाद से जप्त किया गया था जो प्रदर्श पी–70 है। आर्टिकल–2– एक सफेद कपडे की थैली चिट चेपा पैकिट मार्का–डी दो जोडी कडियां, एक जोडी नाहरमुखी कडे सफेद धातु जैसे कुल 06 नग, जिसका कुल वजन 02 किलो 498 ग्राम है जो हेमन्त जैन से जप्त किया गया था जो प्रदर्श पी–71 है, जिन पर गवाहान तथा उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है, जिस पर मुकदमा संख्या–501/2018, मालखाना मद संख्या–326/2018 अंकित हैं। मुकदमा संख्या 501/1998 अनुसंधान पूर्ण होने से पत्रावली श्री राजेन्द्र गोदारा सी.आई. एस.एच.ओ. को सुपुर्द की गई जिनके द्वारा चार्जशीट नंबर–149/2019 विरूद्ध अभियुक्त रामप्रसाद, गणेश पुत्र छगन, मदन पुत्र रामलाल, शेरू पुत्र भैरूलाल, लोगर उर्फ लोकेश, जगदीश उर्फ कालू, गणेश पुत्र रामलाल अन्तर्गत धारा 147, 149, 323, 341, 458, 395, 307 आई.पी.सी. न्यायालय न्यायालय के समक्ष पेश की गई, जिनके हस्ताक्षर वह उनके अधीनस्थ होने के कारण पहचानता है। चार्जशीट प्रदर्श पी–72 है, जिस पर ए से बी श्री राजेन्द्र गोदारा सी.आई. एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर हैं।

58– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मुझे प्रकरण की पत्रावली दिनांक 04–02–2019 को किस उच्चाधिकारी के आदेश से अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई, वह आदेश पत्रावली पर नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है कि पूर्व अनुसंधान अधिकारी ने किन–किन गवाहान के बयान लिए। मुझे याद नहीं कि मेरे द्वारा किन–किन गवाहान के बयान, किस–किस तारीख को लिए थे। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 का सी से डी भाग ''इन सभी......कानूनी कार्यवाही की जावे'' सही लिखा हुआ है। यह सही है कि जब्त की गई चांदी जैसी वस्तुओं की किसी एक्सपर्ट से जांच करवाकर उसका प्रमाण पत्र पत्रावली में पेश नहीं किया। मैंने आर्टिकल–1 व 2 की जब्ती बंथली मोड़ पर की थी, लेकिन किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। मैंने सुनार से कणकती चांदी की है या

नहीं, नहीं पूछा। गवाह ने फिर कहा कि हमें जैसी मिली थी, वैसी ही जब्त की थी। यह सही है कि आर्टिकल–1 व 2 पर परिवादी व उसके परिवारजन का नाम अंकित नहीं है। यह सही है कि झगड़ा सीताराम के घर पर हुआ था, उसके स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं लिया। सीताराम का मकान केकड़ी से लगभग 12 से 13 कि.मी. दूर है। यह कहना गलत है कि पुलिस थाना चारभुजा से हमें मुलजिमान द्वारा केकड़ी क्षेत्र में डकैती की सूचना दी हो, गवाह ने फिर कहा कि यह सूचना पुलिस थाना रासमी द्वारा दी गई थी। अभियुक्तगण को दिनांक 23–02–2019 को प्रोडक्शन वारण्ट से गिरफ्तार किया गया था। यह सही है कि मैंने हेमन्त जैन को अभियुक्त नहीं माना था, गवाह ने फिर कहा कि हेमन्त जैन ने हमें सामान खुद लाकर पेश किया था तथा उसे गवाह बनाया था। यह सही है कि मेरे द्वारा रूपए बरामद नहीं किए गए थे। यह कहना गलत हैकि मैंने अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया हो तथा झूठे बयान दे रहा हो।

59– **गवाह पी.ड.–23 भारत भूषण** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 26.04.2019 को तहसीलदार, केकडी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोदय, अजमेर के आदेशानुसार प्रकरण संख्या 501/2018 अन्तर्गत धारा 147, 323, 341, 458, 395, 307 आई.पी.सी. में बरामद माल की शिनाख्ती उसके द्वारा कराई गई थी। अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र सीताराम बागरिया से बरामद पैकिट–सी से चांदी जैसी सफेद कनकती तथा अभियुक्त जगदीश उर्फ कालू पुत्र भैरूलाल से बरामद पैकिट–डी से चांदी जैसी सफेद धातु की पैरों की दो जोडी कडियां व एक जोडी नाहरमुखी कडे निकाले गए थे, जिनकी मुस्तगीस सीताराम द्वारा सही पहचान की गई, बरामदगी माल की शिनाख्तगी फर्द प्रदर्श पी–73 है। अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र सीताराम बागरिया से बरामद पैकिट–सी से चांदी जैसी सफेद कनकती तथा अभियुक्त जगदीश उर्फ कालू पुत्र भैरूलाल से बरामद पैकिट–डी से चांदी जैसी सफेद धातु की पैरों की दो जोडी कडियां व एक जोडी नाहरमुखी कडे निकाले गए थे, जिनकी गवाह सांवरलाल द्वारा सही पहचान की गई, बरामदगी माल की शिनाख्तगी फर्द प्रदर्श पी–74 है। जिन पर गवाहान तथा उसके हस्ताक्षर हैं। शिनाख्तगी की कार्यवाही के पश्चात उक्त माल को पुनः पैकिट–सी व पैकिट–डी में सील्ड कर अनुसंधान अधिकारी अमीचन्द को सुपुर्द किया गया तथा शिनाख्तगी रिपोर्ट दिनांक 01–05–2019 को श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर को जरिए पत्र प्रदर्श पी–75 प्रेषित की गई जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

60– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–73 व 74 के पृष्ठ भाग पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है तथा मेरी हस्तलिखित नहीं है। यह सही है कि शिनाख्तगी के दौरान किसी ज्वैलर अथवा सुनार को नहीं बुलाया था। यह सही है कि मैंने किसी धातु के परीक्षण का कोई डिप्लोमा नहीं लिया है तथा सीताराम के कहने पर उक्त वस्तुओं को चांदी का होना बताया है।

61– **गवाह पी.ड.–24 श्रीनिवास** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25–11–2018 को थाना केकडी पर एस.आई. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 501/2018 अन्तर्गत धारा 147, 323, 341, 458, 395, 307 आई.पी.सी. वास्ते

अनुसंधान उसे प्राप्त हुआ। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहान सीताराम बैरवा, राधा देवी, सांवरमल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। मौके पर जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र्रदर्श पी–07 बनाया गया। फर्द जप्ती एक काला व बैंगनी स्कार्फ, एक भगवा स्कार्फ जिस पर खून के धब्बे लगे थे, प्रदर्श पी–01 व पी–10 है, जिन पर उसके व गवाहान के हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। सीताराम व राधादेवी का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–08 व पी–09 है। उसका स्थानान्तरण जिला नागौर होने के कारण पत्रावली वास्ते अग्रिम अनुसंधान एस.एच.ओ. साहब को सुपुर्द की गई। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मेरे द्वारा गवाहान सीताराम, राधादेवी, सांवरलाल के आई.डी. प्राप्त की थी तथा उनके पहचान चिन्ह् अंकित नहीं किए थे। नक्शा–मौका प्रदर्श पी–7 बनाते समय पटवारी व गांव के सरकारी कर्मचारी को नहीं बुलाया, गवाह ने फिर कहा कि गांव के लोग आ गए थे। यह सही है कि नक्शा बनाते समय सीताराम के मकान बाबत् पट्टा नहीं लिया।

62– जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो भी गवाहान परीक्षित कराए गए हैं, वे हितबद्ध साक्षी हैं तथा गवाहान के बयानों में विरोधाभास है, जिनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड.–1 सांवराराम, पी.ड.–3 जीवणी, पी.ड.–4 सीताराम, पी.ड.–7 राधा एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। घटनाक्रम दिनांक 25–11–2018 को रात्रि के 1.30 बजे के लगभग का है। उस समय परिवारजन घर पर सो रहे थे तथा अभियुक्तगण एकराय होकर परिवादी सीताराम के घर में प्रवेश कर राधादेवी, सांवरलाल, जीवणी व सीताराम के साथ लकड़ी व सरिए आदि से मारपीट की तथा हो–हल्ला होने पर परिवादी सीताराम का पड़ौसी नन्दलाल ने बीच–बचाव किया तो अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ भी लकड़ी व सरिए से उसके सिर पर वार किया तथा अभियुक्तगण परिवादी सीताराम की पत्नी जीवणी के जेवरात व आहत नन्दलाल का कड़ा परिवादी सीताराम की जेब से पांच हजार रूपए लूटकर ले गए। गवाह पी.ड.–1 सांवराराम, पी.ड.–3 जीवणी, पी.ड.–4 सीताराम, पी.ड.–7 राधा एक ही परिवार के व्यक्ति तथा हितबद्ध होने के आधार पर उनकी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा इन गवाहान के बयानों का बारीकी से अवलोकन किया गया है तथा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आया है, जिसके कारण इन गवाहान के बयानों पर अविश्वास किया जा सके। गवाहान के बयानों में मामूली से विरोधाभास हैं, जो आना स्वाभाविक है, क्योंकि घटनाक्रम सन् 2018 का है तथा गवाहान के बयान लगभग 5–6 वर्ष उपरान्त लेखबद्ध किए गए हैं। मामूली विरोधाभास के आधार पर अभियोजन पक्ष की कहानी पर सन्देह नहीं किया जा सकता है, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान ने एकदूसरे से संपुष्टिकारक साक्ष्य दी है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण ने परिवादी व अन्य आहतगण के साथ मारपीट नहीं की हो, इसका खण्डन भी बचाव पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है तथा अपने धारा 313 दं.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. में भी केवल मात्र कथन किया है कि वे निर्दोष हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का उपरोक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

63– जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस के दौरान तर्क दिया कि हस्तगत

प्रकरण में अभियुक्तगण की किसी भी गवाहान के द्वारा पहचान नहीं की गई है, क्योंकि अभियुक्तगण के मुंह पर कपड़े बंधे थे तथा अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो **गवाह पी.ड.–1 सांवराराम** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि दिनांक 25–11–2018 को समय रात्रि के डेढ़ बजे वह, उसकी पत्नी तथा माता–पिता सो रहे थे, उस समय उसके पिताजी की आवाज आई। उसने जाकर देखा तो 10–15 व्यक्ति जिनके हाथों में लोहे के सरिए व लाठी थी, जो पिताजी के साथ मारपीट कर रहे थे तथा उसकी माता जीवणी को उठाकर रोड़ पर ले गए। वह बाहर गया तो उसके साथ सिर पर सरिए से वार किया। आवाज सुनकर पड़ौसी नन्दलाल आया। इन लोगों ने नन्दलाल के साथ मारपीट की तथा उसकी माता के पहने हुए जेवरात लूटकर ले गए तथा उसके पिता की जेब से 5,000/–रूपए निकाल लिए। उससे मुलजिमान की शिनाख्तगी जेल में करवाई गई थी तथा उसने मुलजिमान की पहचान की थी। बचाव साक्ष्य की जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि रामप्रसाद का उस समय मुंह का कपड़ा उतर गया था, इसीलिए उसे पहचान लिया था। इसी तरह से **गवाह पी.ड.–4 सीताराम** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्तगण उनके घर पर आए थे तथा उसके, जीवणी, सांवराराम व नन्दलाल के साथ लाठी व सरियों से मारपीट की थी तथा जीवणी के जेवरात लूटकर ले गए। उसने रामप्रसाद, शेरू, जगदीश, गणेश, मदन को पहचाना था तथा बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इन सभी मुलजिमानों के मुंह पर कपड़े बंधे हुए थे, जो बाद में हट गए थे। **गवाह पी.ड.–20 रवि वर्मा** उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण रामप्रसाद, शेरू, जगदीश, गणेश पुत्र छगन, लोगर उर्फ लोकेश, गणेश पुत्र रामलाल की जेल में शिनाख्तगी कार्यवाही की गई थी तथा गवाह सीताराम व सांवरलाल ने अभियुक्तगण की सही से पहचान की थी। शिनाख्तगी कार्यवाही के दस्तावेज प्रदर्श पी–35 लगायत पी–47 हैं। इसी तरह से **गवाह पी.ड.–23 भारतभूषण दीक्षित** तहसीलदार के द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा जेवरात की शिनाख्तगी की कार्यवाही की गई थी तथा मुस्तगिस सीताराम के द्वारा जेवरात की सही पहचान की गई थी। शिनाख्तगी कार्यवाही के दस्तावेज प्रदर्श पी–73 लगायत पी–75 है। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि परिवादी सीताराम व सांवराराम ने अभियुक्तगण एवं प्रकरण में लूटे गए जेवरात की सही से शिनाख्त की गई है। अतः विद्वान अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है।

64– जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस के दौरान तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में बरामदगी साबित नहीं है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो **गवाह पी.ड.–8 सीताराम व पी.ड.–9 घीसालाल** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि आज से करीबन 06 साल पहले सीताराम के घर पर लूट व डकैती हुई थी तथा सीताराम ने पुलिस को उनके सामने एक भगवा रंग का रूमाल व एक काले, बैंगनी रंग का रूमाल दिया था, जो पुलिस ने जरिए फर्द प्रदर्श पी–9 व पी–10 जब्त किया गया था। हालांकि बचाव पक्ष की जिरह में गवाहान ने कथन किया कि प्रदर्श पी–9 व पी–10 में क्या लिखा है, उन्हें नहीं पता। मैंने तो पुलिस वालों के कहने से हस्ताक्षर किए थे, परन्तु गवाहान ने फर्दात पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। **गवाह पी.ड.–11 महेन्द्र** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि सीताराम के घर पर लूट व डकैती हुई थी तथा सीताराम ने

अपने पुत्र सांवरलाल के कपड़े, मफलर व भूरे रंग की शाल जिस पर खून लगा हुआ था, पुलिस को दिए थे तथा पुलिस ने जरिए फर्द प्रदर्श पी–19 व पी–11 जब्त किए थे। इसी तरह से **गवाह पी.ड.–12 हेमन्त जैन** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि दिनांक 27–02–2019 को एक आदमी दो जोड़ी चांदी की कड़ियां व चांदी की एक जोड़ी कड़े गिरवी रखने आया था तथा कहा कि उसे पैसों की जरूरत है तथा जेवरात गिरवी रखकर नकद पैसे दे दो। मैंने चांदी के जेवरात का वजन 02 किलो 498 ग्राम किया था तथा उस व्यक्ति को 44,000/–रूपए दिए थे तथा फर्द जब्ती प्रदर्श पी–11 बनाई थी। हालांकि बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया हैकि पुलिस वालों ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। **अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.–22 अमीचन्द** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्तगण के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी–52 तथा अभियुक्त गणेश पुत्र छगन द्वारा दी गई इत्तिला प्रदर्श पी–54, अभियुक्त मदन द्वारा दी गई इत्तिला प्रदर्श पी–55, अभियुक्त लोगर उर्फ लोकेश द्वारा दी गई इत्तिला प्रदर्श पी–57 तथा अभियुक्त गणेश पुत्र रामलाल द्वारा दी गई इत्तिला प्रदर्श पी–58 के आधार पर प्रकरण में लूटे गए जेवरात को बरामद करवाया गया था तथा अभियुक्तगण की निशांदेही से फर्द नक्शा–मौका प्रदर्श पी–20 तस्दीक किया गया था तथा समस्त कार्यवाही का इन्द्राज रोजनामचा प्रदर्श पी–60 लगायत पी–67 में किया गया है। अभियुक्तगण मदन, गणेश पुत्र रामलाल का सजायाबी रेकार्ड प्रदर्श पी–68 है। **बचाव पक्ष के द्वारा** गवाह से विस्तृत जिरह की गई है, लेकिन ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिसके कारण गवाह के बयानों पर अविश्वास किया जा सके। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के परिवारजन से जेवरात को लूटा गया, जिसे जब्त किया गया है तथा जब्तशुदा जेवरात आर्टिकल–1 व 2 न्यायालय में पेश किए गए हैं, लेकिन बचाव साक्ष्य द्वारा इस संबंध में कोई तात्विक जिरह नहीं की गई है। अभियुक्तगण से बरामदगी नहीं की गई हो, इसका भी खण्डन बचाव पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का उपरोक्त तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है।

65– जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा 307/149 भा.दं.सं.** के आरोप का प्रश्न है तो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.–1 सांवराराम, पी.ड.–3 जीवणी, पी.ड.–4 सीताराम, पी.ड.–7 राधा, पी.ड.–10 दशरथ के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्तगण लाठी व सरियों से लैस होकर रात्रि के समय परिवादी के घर पर आए तथा उनके साथ मारपीट की। हो–हल्ला सुनकर पड़ौसी नन्दलाल आया तो अभियुक्तगण ने सरिए से उसके सिर पर वार किया, जिसके कारण उसके चोटें आई। **आहत गवाह पी.ड.–2 नन्दलाल** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि दिनांक 25–11–2018 को रात्रि डेढ़ बजे मेरे पड़ौसी सीताराम के चिल्लाने की आवाज आई। उसने भागकर जाकर देखा तो सीताराम के मकान के अन्दर सांवरलाल, उसकी मां जीवणी, सीताराम की मां राधा के साथ 8–10 सरिए व लाठियों से मारपीट कर रहे थे। मैंने बीच–बचाव किया तो मेरे भी सरिए व लाठी से सिर पर वार किया तथा हाथ में पहने चांदी के कड़े को निकाल लिया तथा राधा के जेवरात लूट लिए तथा जीवणी को घर से बाहर खींचकर उसके पहने हुए जेवरात तथा सीताराम की जेब से पांच हजार रूपए निकाल लिए। उसकी चोटों का मेडिकल हुआ था। आहत का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 है, जिसमें आहत के दो चोटें कारित होना बताया गया है तथा सिर के एक्सरे की राय दी गई है तथा बाद एक्सरे कोई

अस्थिभंग नहीं पाया गया है। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरे वहां जाते ही मेरे सिर पर लोहे के सरिए की चोट मार दी थी। आहत के शरीर पर आई चोटों की संपुष्टि **चिकित्सीय साक्षी गवाह पी.ड.—16 डाक्टर लोकेश मीणा** की साक्ष्य से भी हो रही है तथा **गवाह पी.ड.—18 डाक्टर तारेश जैन** के द्वारा आहत नन्दलाल के सिर का एक्सरे लिया गया था, जिसमें कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया था। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी—26 तथा एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी—28 व 29 है। बचाव पक्ष के द्वारा इन गवाहान से कोई तात्विक जिरह नहीं की गई है। आहत नन्दलाल के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से हो रही है।

66— अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से यह साबित है कि अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 25—11—2018 को समय रात्रि करीब 1.30 बजे बैरवा का झोपड़ा मानखण्ड, पुलिस थाना केकड़ी पर आपस में मिलकर एकराय होकर परिवादीगण के साथ मारपीट करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी सीताराम के रिहायशी मकान में अवैध रूप से प्रवेश कर आहतगण सीताराम, राधादेवी, सांवरलाल, नन्दलाल, श्रीमती जीवणी का सदोष अवरोध कारित करते हुए उनके साथ मारपीट कर साधारण चोटें कारित की तथा परिवादी की पत्नी जीवणी के पैरों की चांदी की क़डियां, कणकती, हाथ का कोला, कानों के सोने टोप्स, बाली, मांदलिया, पैरों की चांदी की क़डियां व परिवादी की जेब में रखे पांच हजार रूपए लूटकर ले जाने तथा उक्त जेवरात को चोरी का होना जानते हुए स्वयं के पास रखा तथा आहत नन्दलाल के साथ उसकी हत्या कारित करने के आशय से उसके सिर पर सरिए, लकड़ी आदि से वार कर उसकी हत्या कारित करने का प्रयास कर आहत के उपहति कारित की।

67— अतः अभियुक्तगण (1) गणेश पुत्र छगन आयु 19 वर्ष, निवासी खेमली, पुलिस थाना डबोक, जिला—उदयपुर, (2) मदन पुत्र रामलाल उर्फ राम आयु 21 वर्ष, निवासी कच्ची बस्ती सावलिया जी चैराहे के पास भादसोड़ा, पुलिस थाना भादसोड़ा, जिला—चित्तौड़गढ़, (3) लोगर उर्फ लोकेश पुत्र नन्दा आयु 20 वर्ष, निवासी पाल के पास सोंकरदा, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला—भीलवाड़ा व (4) गणेश पुत्र रामलाल आयु 20 वर्ष, निवासी कच्ची बस्ती सावलिया जी चैराहे के पास भादसोड़ा, पुलिस थाना भादसोड़ा, जिला—चित्तौड़गढ़ (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323, 341/149, 458/149, 395/149, 411/149, 307/149 भा.दं.सं. हेतु दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या—1, केकड़ी, जिला अजमेर.

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या—2</u>

68— सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है।

अभियुक्तगण प्रकरण में वर्ष 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं तथा लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। अतः अभियुक्तगण के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

69— इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण को विधि में विहित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

70— सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। हालांकि अभियुक्तगण प्रकरण में वर्ष 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं, किन्तु अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति के हैं। अतः अभियुक्तगण को कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायसंगत है।

– द ण् डा दे श –

80— अतः अभियुक्तगण (1) **गणेश पुत्र छगन** आयु 19 वर्ष, निवासी खेमली, पुलिस थाना डबोक, जिला—उदयपुर, (2) **मदन पुत्र रामलाल उर्फ राम** आयु 21 वर्ष, निवासी कच्ची बस्ती सावलिया जी चैराहे के पास भादसोड़ा, पुलिस थाना भादसोड़ा, जिला—चित्तौड़गढ़, (3) **लोगर उर्फ लोकेश पुत्र नन्दा** आयु 20 वर्ष, निवासी पाल के पास सोंकरदा, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला—भीलवाड़ा व (4) **गणेश पुत्र रामलाल** आयु 20 वर्ष, निवासी कच्ची बस्ती सावलिया जी चैराहे के पास भादसोड़ा, पुलिस थाना भादसोड़ा, जिला—चित्तौड़गढ़ (राज.) को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323, 341/149, 458/149, 395/149, 411/149, 307/149 भा.दं.सं. में निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाता है—

अपराध धारा	कारावास का दण्ड	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड अतिरिक्त कारावास
147 भा.दं.सं.	02 वर्ष का साधारण कारावास	1,000/—रूपए अक्षरे एक हजार रूपए	03 माह
323/149 भा.दं.सं.	01 वर्ष का साधारण कारावास	1,000/—रूपए अक्षरे एक हजार रूपए	01 माह
341/149 भा.दं.सं.	01 माह का साधारण कारावास	500/—रूपए अक्षरे पांच सौ रूपए	05 दिवस
458/149 भा.दं.सं.	05 वर्ष का साधारण कारावास	1,000/—रूपए अक्षरे एक हजार रूपए	06 माह
395/149 भा.दं.सं.	10 वर्ष का साधारण कारावास	2,000/—रूपए अक्षरे दो हजार रूपए	01 वर्ष
411/149 भा.दं.सं.	03 वर्ष का साधारण कारावास	1,000/—रूपए अक्षरे एक हजार रूपए	03 माह
307/149 भा.दं.सं.	10 वर्ष का साधारण कारावास	2,000/—रूपए अक्षरे दो हजार रूपए	01 वर्ष

81– **अभियुक्तगण को प्रकरण में प्रदत्त समस्त सजाएं साथ–साथ चलेंगी।**

82– **अभियुक्तगण** द्वारा पूर्व में पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को धारा 428 दं.प्र.सं./468 बी.एन.एस.एस. के तहत् मूल सजा में से समायोजित किया जावे। **तद्नुसार सजा वारन्ट मुर्तिब किया जाकर उसे सजा भुगताने हेतु संबंधित कारागृह भिजवाया जावे।**

83– आहतगण के साधारण चोटें कारित होने से धारा 357एदं.प्र.सं./386 बी.एन.एस.एस. के तहत Victim compensation Scheme एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर को अनुशंसा नहीं की जाती है।

84– धारा 363 दं.प्र.सं./404 बी.एन.एस.एस. के प्रावधान के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय व दण्डादेश की प्रति निःशुल्क प्रदत्त की जावे।

85– **हस्तगत प्रकरण में सह अभियुक्त रामप्रसाद की दौराने अन्वीक्षा मृत्यु होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई तथा अभियुक्त शेरू व जगदीश मफरूर है। अतः पत्रावली के सरबरक पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे।**

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

86– निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 30.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN
Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN
Date: 2026.05.01 11:37:37 +0530

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

–––––––